

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 178333 पटना, दिनांक 20-02-2014

गा0वि0- 8 (थ) गा0परि0- 72/11 (पार्ट)

प्रेषक,

मिथिलेश कुमार सिंह,
अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार

विषय:- दिनांक- 17.12.2013 को माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित की गयी राज्य स्तरीय गठित निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक के कार्यवाही के लिये गये निर्णय के आलोक में कंडिका 7 एवं 8 का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक- 172984 दिनांक- 02.01.2014 ।
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि दिनांक- 17.12.2013 को माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित की गयी राज्य स्तरीय गठित निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाही में लिये गये निर्णय के आलोक में कंडिका- 7 एवं 8 का अनुपालन प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है । जिसके अभाव में अग्रत्तर कार्रवाई करने में कठिनाई हो रही है ।

प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि दिनांक- 03.03.2014 को 11.30 बजे पूर्वा० में मुख्य सचिवालय, पटना स्थित सभागार में पुनः राज्य स्तरीय गठित निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की जाने वाली है ।

अनुरोध है कि दिनांक- 17.12.2013 को आयोजित की गयी राज्य स्तरीय गठित निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक के कार्यवाही में लिये गये निर्णय के आलोक में कंडिका 7 एवं 8 का अनुपालन प्रतिवेदन यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।


विश्वासभाजन


(मिथिलेश कुमार सिंह)

अपर सचिव

जापांक 178333 पटना, दिनांक 20-02-2014

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आयुक्त मनरेगा के आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना एवं सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवार हेतु प्रेषित ।


अपर सचिव

533

माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक- 17.12.2013 को आयोजित राज्य स्तरीय गठित निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति पंजी के अनुसार -

1. माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ने सभी उपस्थित माननीय सदस्यों को स्वागत करते हुए बैठक में भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया। तत्पश्चात माननीय मंत्री ने सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को कार्यवाही प्रारंभ करने का निदेश दिया।
2. पिछली बैठक दिनांक- 17.09.2013 की कार्यवाही की सर्वसम्मति से सम्पुष्टि की गयी।
3. पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन प्रतिवेदन का गहन अवलोकन करके संतोष व्यक्त किया गया।
4. **सचिव, कल्याण विभाग, बिहार, पटना** द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से स्पष्ट किया गया राष्ट्रीय समाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत 5 निम्नवत कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं:-
 - i. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेशन योजना।
 - ii. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेशन योजना।
 - iii. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्त पेशन योजना।
 - iv. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना।
 - v. अन्नपूर्णा योजना।

उक्त सभी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया तथा उपस्थित सदस्यों एवं पदाधिकारीगण को इस योजना से अवगत कराया गया।

5. **सचिव, ग्रामीण विकास विभाग** बिहार, पटना द्वारा यह विचार रखा गया कि अगली बैठक से सभी विभागों द्वारा पूर्व में ही कार्यान्वित योजनाओं का प्रतिवेदन प्राप्त कर ली जाय ताकि सभी माननीय सदस्यों को प्रगति से अवगत कराया जा सके। माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा से अनुमोदित किया गया।
6. **श्री जाबेद इकवाल, अधिवक्ता गैर सदस्य** द्वारा विचार रखा गया कि प्रत्येक कार्य का भौतिक सत्यापन होना चाहिए। उनका कहना था कि स्थल पर जाकर जांच एवं निरीक्षण हो, तभी ज्ञात हो पायेगा कि कार्य की सही स्थिति क्या है। इस संदर्भ में सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा माननीय सदस्यों की सहमति से दिनांक- 11.01.2014 को मुंगेर एवं सारण जिले का भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित किया गया। इस कार्य हेतु विभाग से श्री अतुल कुमार वर्मा, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग जिनका दूरभाष सं०- 09-818344 है, को नामित किया गया। सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया कि जिन्हें क्षेत्रीय भ्रमण में जाना है वो अपना सहमति दिनांक- 07.01.2014 तक श्री वर्मा को अवगत करायेगें।

श्री इकवाल द्वारा गत बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन के संदर्भ में संतोष व्यक्त किया गया एवं यह मांग की गई कि सभी बी०पी०एल० परिवार के मकानों पर बी०पी०एल० संख्या अंकित होनी चाहिए ताकि उनकी पहचान आसानी से की जा सके।

7. श्री समीर महासेठ, गैर सरकारी सदस्य, भू०पू० सदस्य बिहार विधान परिषद:- द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि राज्य स्तर पर विकलांग के लिए खेलकूद, पाठशाला आदि की अलग से व्यवस्था की जाय तथा इनके लिए ग्राउण्ड आदि बनबाये जाय। सचिव महोदय द्वारा इस प्रस्ताव को सराहा गया तथा कहा गया कि मनरेगा के अन्तर्गत इसे लेकर कार्य को साकार रूप दिया जा सकता है।

श्री महासेठ द्वारा विकलांगों को विकलांगकता प्रमाण-पत्र हेतु प्रखंड स्तरीय कैम्प लगाने हेतु विशेष जोर दिया गया ताकि वहाँ चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए ससमय प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा सके। यह कैम्प महीने में एक दिन सभी प्रखंडों लगाई जानी चाहिए।

8. श्रीमती अपर्णा सिंह, एनजीओ, भागलपुर:- द्वारा प्रश्न उठाया गया कि गलत ढंग से विधवा पेंशन की राशि लोग उठा लेते हैं जिससे सही व्यक्ति का हक मारा जाता है। इस पर संबंधित पदाधिकारी इस पर गंभीरता से विचार करें तथा इस पर अंकुश लगाई जाय ताकि दोषी को सजा दी जा सके। इस संबंध में उनसे यह कहा गया कि उनकी नजर में इस प्रकार की विशिष्ट मामले है तो वे विभाग को सूचित करे उसकी जाँच कराई जायेगी।

9. मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना महोदय द्वारा संबोधन के क्रम में स्पष्ट किया गया कि जिनका नाम बीपीएल या एपीएल सूची में नहीं है किन्तु वे जरूरतमंद है ऐसी स्थिति में उन्हें भी इस लाभ से बंचित नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं में हो रही अनियमितता के संबंध में प्रकाश डाला गया जो निम्नवत है:-

प्रखंड- झंझारपुर- 1. काको से मोतीपुर प्रधानमंत्री सड़क से Premixing नहीं किया जा रहा है।

2. पुरानी एन०एच० से परतापुर प्रधानमंत्री सड़क में काली मंदिर परतापुर पी०सी०सी० कार्य दो वर्ष से नहीं किया जा रहा है। 2009-10

3. स्टेट हाईवे कोठिया से काको के पास पी०सी०सी० सड़क पूर्णतः टूट चुकी है। 2008-09।

(क) गोपबन्धा म०वि० के पास पी०सी०सी० पूर्णतः टूट चुकी है।

(ख) कोठिया भंडा से लोपतखा तक कालीकरण उखड़ चुकी है।

(ग) ओझोल से शंकरपुर तक तीन बड़ा-बड़ा गड्ढा हो गया है।

4. स्टेट हाईवे से नारायणपुर कि स्वीकृति 6 कि०मी० हुई है जबकि इस सड़क कि दूरी 2.6 कि०मी० है।

5. स्टेट हाईवे से बलनी मेंहथ प्रधानमंत्री सड़क से इस कि स्वीकृति 1.2 कि०मी० हुई जबकि इसकी दूरी 1.7 कि०मी० है।


6. आर0ई0ओ0 से शुक्लाराही फिर 1.2 कि०मी० है जबकि इसकी दूरी 2.2 कि०मी० है ।

प्रखंड- लखनौर- 1 मैवी से सोनवर्षा प्रधानमंत्री सड़क में सड़क के पास पुल चाहिए एवं सड़क बेहरा और मैवी के बीच सड़क का निर्माण 2009-10 में किया जा चुका है । 2. लखनौर प्राथमिकी विद्यालय से पोखरा के पास सड़क में कसियाम पोखरा के पास सड़क टूट रही है । 2009-10 में सड़क का निर्माण किया जा चुका है ।

प्रखंड- मधेपुर- 1. अजरकवे सिद्धि ताजपुर से भगवानपुर सड़क का निर्माण 1.5 कि०मी० है। इसको के तहफ से बनाया जा रहा है । जबकि अजरकवे से ताजपुर से भगवानपुर हुआ है । अगर इसको अजरकवे से ताजपुर के तहफ से बनाया जाए तो आबादी बाहुल क्षेत्र पकड़ाएगा । 2009-10 में सड़क का निर्माण किया जा चुका है ।

10. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से सभी उपस्थित माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया साथ ही गत दिनांक- 19.11.2013 को विश्व शौचालय दिवस पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की गई आह्वान के संबंध में अवगत कराया गया साथ ही यह भी अवगत कराया कि सभी सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में शौचालय निर्माण हेतु संबंधित लाभुकों को उत्प्रेरित करने

अध्यक्ष की अनुमति से धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त


सचिव

जापांक 172984 पटना, दिनांक- 02-1-2013

ग0वि0- 8 (स)- 72/2011 (पट)

प्रतिलिपि:- निदेशक (अनुश्रवण) ग्रामीण विकास विभाग, पटना के कार्यालय को उपरोक्त अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


सचिव

जापांक 172984 पटना, दिनांक- 02-01-2013

ग0वि0- 8 (स)- 72/2011 (पट)

प्रतिलिपि:- सभी माननीय सदस्यों को सूचना के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है ।

पटना, दिनांक-

शा0वि0- 8 (स)- 72/2011 (पार्ट)

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना, आयुक्त, कृषि विभाग/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि प्रासंगिक कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजों को जल्द ही विभाग को उपलब्ध कराया जाय ताकि अगली बैठक की कार्यवाही सरासरी हो सके ।

जापांक 172984 पटना, दिनांक- 02-01-2013

शा0वि0- 8 (स)- 72/2011 (पार्ट)

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के पता पर पटना एवं/आर जित मनरेगा/सभी विभाग पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

जापांक 172984 पटना, दिनांक- 02-01-2013

शा0वि0- 8 (स)- 72/2011 (पार्ट)

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।